देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/24 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 7 अक्तूबर 2020

आखिर क्यों जे.डी.ए. प्रशासन,सरकार और जनता को गुमराह कर रहे है जे.डी.ए. ज़ोन-5 के प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी?

प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी की छत्रछाया में नहीं हट रहे है सोढानी स्वीट्स,अंग्रेजी शराब समेत बीस दुकानों के अवैध निर्माण|

सुशीलपुरा पुलिया से पुरानी चुंगी(श्मशान) तक सड़क सीमा में बनी हुए है 20-20 अवैध दुकाने

सुशीलपुरा पुलिया से लेकर पुरानी चुंगी तक की करीब बीस दुकानों ने 160 फीट चौड़ी अजमेर रोड पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे तोड़ने के लिए 4 साल से भी अधिक समय पहले इन सब दुकान मालिकों को जे.डी.ए. द्वारा धारा 72 के अंतर्गत नोटिस दिया गया था|हालाँकि एक साल पहले जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल ने इन्हें हटाने का रास्ता साफ़ कर दिया है परन्तु इसके बावजूद जे.डी.ए.प्रवर्तन के अधिकारी मोटे माल के चक्कर में इन अवैध निर्माणों पर कुंडली मारकर बैठे है|

ज़ोन-5 के कर्मचारियों के अनुसार पत्रावली नहीं मिल रही|आखिर किसने और क्यूँ गायब की यह मूल पत्रावली?

इस सम्बन्ध में प्रवर्तन शाखा से संपर्क करने पर पता चला कि विगत कई दिनों से इस प्रकरण से सम्बंधित पत्रावली ही नहीं मिल रही है|कुछ कर्मचारी इस फाईल के ज़ोन में होने की बात कह रहे है कुछ डायरेक्टर लॉ के पास होने की

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

बात कह रहे है|लेकिन कोई भी मूल पत्रावली वापस मंगवाने का प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है|अंदेशा है कि जानबूझ कर इस फाईल को गुम करायी गयी है जिससे कोई इस पत्रावली में तांक-झाँक नहीं कर सके|

संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी गुमराह कर रहे है जे.डी.ए.,सरकार और जनता को|परिणाम, ट्रेफिक जाम से रोज परेशान होना पड़ रहा है आम जनता को|

अब बात करते है ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी की जवाबदेही की|हमारे द्वारा इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री,विभाग के मंत्री महोदय के संज्ञान में लाते हुए जे.डी.ए. के आला अधिकारीयों को भी इस मामले में कार्यवाही करने के लिए शिकायत की गयी थी परन्तु प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी द्वारा जे.डी.ए.,सरकार और जनता को गुमराह करते हुए यह लिख कर परिवाद बंद करने की कोशिश कि गयी कि जे.डी.ए. द्वारा इन सभी अवैध निर्माणों को धारा 72 के नोटिस जारी किये जा चुके है|प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी के इस जवाब की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि जे.डी.ए. द्वारा इन अवैध निर्माणों को धारा 72 के तहत नोटिस देने की कार्यवाही 4 साल पहले ही की जा चुकी है|प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी तो केवल इतना बता दें कि उनके जे.डी.ए. में आने के बाद उन्होंने इस प्रकरण में क्या नयी फली फोड़ी?आखिर क्यों वह अपने पूर्ववर्ती प्रवर्तन अधिकारी के कार्यों का श्रेय ले रहे है?आखिर क्यों श्री अशोक सैनी जे.डी.ए.,सरकार और जनता को गुमराह कर रहे है?क्या अशोक सैनी पर इन अवैध दुकानों पर कार्यवाही नहीं करने का ऊपरी दबाव है?

Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer, (Zone-III), Enforcement Officer - 5	, , ,	Partially Special Closed	29-Sep-2020	धारा ७२ के नोटिस जारी किये जा चुके है अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के सन्दर्भ में ज़ोन 5 के प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी द्वारा दिया गया जवाब

आखिर क्यों पुलिस विभाग जैसे सख्ती,पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी बातों को भूल जाते है जे.डी.ए. में आकर ऐसे पुलिस अधिकारी?

देखने में आया है कि पुलिस विभाग में रहते ऐसे पुलिस अधिकारी अनुशासन में रहते है और अफसरों के खौफ,दबाव के चलते किसी भी सुचना आवेदन,शिकायत पर ढंग से जवाब देते है परतु जैसे ही यह पुलिस अधिकारी जे.डी.ए. में आते है है जे.डी.ए. के रंग में रंग जाते है और उटपटांग जवाब देते नजर आते है|क्यूंकि जे.डी.ए. में अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने और कार्यवाही नहीं करने की डील करने के लिए बदनाम है|यदि किसी अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं करनी हो तो यहाँ पर बरसों से जमे बाबू कानून कि गलियों में उलझा कर सालों निकाल देते है|

अपने आप को मुख्यमंत्री महोदय का करीबी बताते है यह श्रीमान

सूत्रों के अनुसार, यह श्रीमान कई मौकों पर अपने संगी साथियों,कर्मचारियों पर खुद को " माली रत्न" बताकर मुख्यमंत्री महोदय का करीबी होने का रौब झाड़ते नजर आ जाते है|